

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक- 3517 / मीरजापुर / 15 , दिनांक, मीरजापुर, मार्च 10 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा,
सोनभद्र।

विषय- जनपद-सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे० क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन संख्या- FP/UP/MON/47074/2020 .

सन्दर्भ- आपका पत्रांक- 1937 / ओबरा / 15 भू०ह०, दिनांक 29.01.2021 ।

महोदय,

जनपद-सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे० क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन संख्या-**FP/UP/MON/47074/2020** में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी जाने वाली 235.737 हे० गैर वन भूमि जो मीरजापुर वन प्रभाग में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त के सम्बन्ध में के०एम०एल० फाइल की सी०डी० व जियो रिफरेंसड मानचित्र, सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट, उपयुक्ता प्रमाण पत्र व छतिपूरक वनीकरण के प्रॉक्कलन की अपेक्षा की गयी है।

उक्त का परीक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं लेखपाल द्वारा किया गया, जिसका स्थलवार विवरण निम्न प्रकार है :-

| क सं | तहसील | ग्राम का नाम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | वर्तमान स्थिति |
|------|--------|--------------|-------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सदर | सिन्धोरा | 1007 | 39.911 | ग्राम-सिन्धोरा, गाटा संख्या-1007, क्षेत्रफल 39.911 हे० का संयुक्त निरीक्षण किया गया। भूमि अत्यधिक पथरीली होने के कारण वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त नहीं है। |
| 2 | चुनार | चकगम्भीरा | 114 मि० | 127.502 | ग्राम-चकगम्भीरा के गाटा संख्या-114मि० रकबा 127.502 हे० (कुल रकबा 138.80 हे०) का मौके का निरीक्षण किया गया। विषयांकित भूमि वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त है। |
| 3 | लालगंज | नौदर | 1क मि० | 17.769 | संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 15.00 हे० क्षेत्र में गेहूँ की फसल लगी हुयी है। जो अतिक्रमित है शेष 2.769 हे० भूमि खाली है जो वृक्षारोपण योग्य है। |
| 4 | लालगंज | पुरा कारीनाथ | 235मि० | 16.046 | संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 0.01 हे० क्षेत्र में तीन-चार झोपड़ी बनी हुयी है तथा 13 हे० भूमि पथरीली एवं ककरीली है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है। शेष लगभग 3.036 हे० क्षेत्र जो |

| | | | | | |
|---|--------|----------|-----|----------------|--|
| 5 | लालगंज | मानिकपुर | 3छ | 9.131 | वृक्षारोपण योग्य है। ग्राम-मानिकपुर के आराजी संख्या-3छ रकबा 9.131 हे० भूमि मौखिक रूप से एक सम्भावित अनुमान से जिस स्थान पर बताया गया उस स्थल पर लगभग 3 हे० भूमि पर गेहूँ की खेती हो रही है तथा शेष 6.131 हे० भूमि जो खाली पड़ा हुआ है वह पथरीली/ककरीली है जो वृक्षारोपण योग्य नहीं है। |
| 6 | लालगंज | उरुआ | 78य | 25.378 | संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 14 लोगो द्वारा जिसमें 8 पक्का आवास बना हुआ है तथा बने आवास पर कार्य चल रहा है तथा 5 कच्चा मकान बचा हुआ है जो लगभग 2.5 हे० भूमि अतिक्रमित है शेष 6.00 हे० क्षेत्र में बन्धी बना हुआ है जो डूब क्षेत्र है 16.878 हे० क्षेत्र पथरीली एवं कंकरीली है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है। |
| | | | | 235.737 | |

गोश्वारा

| ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | अभियुक्ति |
|----------------|-------------|---------------------|--|
| चकगम्भीरा | 114 मि० | 127.502 | वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त। |
| नौदर | 1क मि० | 2.769 | |
| पुराकाशीनाथ | 235 मि० | 3.036 | |
| | योग - | 133.307 | |
| नौदर | 1क मि० | 15.00 | वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त, परन्तु अतिक्रमित। |
| मानिकपुर | 3छ | 3.00 | |
| सिन्धोरा | 1007 | 39.911 | |
| | योग - | 57.911 | |
| पुरा काशीनाथ | 235मि० | 13.01 | पथरीला एवं डूब क्षेत्र एवं भवन निर्मित होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त। |
| मानिकपुर | 3छ | 6.131 | |
| उरुआ | 78य | 25.378 | |
| | योग - | 44.519 | |
| सम्पूर्ण योग - | | 235.737 | |

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

भवदीय,

(संजीव कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या

अ/समदिनांक

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

191.218 हेक्टेयर चिन्हित गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु (संशोधित) उपयुक्ता प्रमाण पत्र

जनपद-सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे० वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में मीरजापुर वन प्रभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली 191.218 हे० गैर वन भूमि का परीक्षण/सर्वेक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों से कराया गया, उनकी जाँच रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

| क सं | जनपद/प्रभाग | तहसील | रेंज का नाम | ग्राम का नाम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | वर्तमान स्थिति |
|------|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
| 1- | मीरजापुर | चुनार | चुनार | चकगम्भीरा | 114 मि० | 127.502 | ग्राम-चकगम्भीरा के गाटा संख्या-114मि० रकबा 127.502 हे० (कुल रकबा 138.80 हे०) का मौके का निरीक्षण किया गया। विषयांकित भूमि वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त है। |
| 2- | मीरजापुर | लालगंज | पटेहरा | नौदर | 1क मि० | 2.769 | संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 15.00 हे० क्षेत्र में गेहूँ की फसल लगी हुयी है। जो अतिक्रमित है शेष 2.769 हे० भूमि खाली है जो वृक्षारोपण योग्य है। |
| 3- | मीरजापुर | लालगंज | पटेहरा | पुरा काशीनाथ | 235मि० | 3.036 | संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 0.01 हे० क्षेत्र में तीन-चार झोपड़ी बनी हुयी है तथा 13 हे० भूमि पथरीली एवं ककरीली है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है। शेष लगभग 3.036 हे० क्षेत्र जो वृक्षारोपण योग्य है। |
| 4- | मीरजापुर | लालगंज | पटेहरा | नौदर | 1क मि० | 15.00 | संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 15.00 हे० क्षेत्र में गेहूँ की फसल लगी हुयी है। जो अतिक्रमित है शेष 2.769 हे० भूमि खाली है जो वृक्षारोपण योग्य है। |
| 5- | मीरजापुर | लालगंज | लालगंज | मानिकपुर | 3छ | 3.00 | ग्राम-मानिकपुर के आराजी संख्या-3छ रकबा 9.131 हे० भूमि मौखिक रूप से एक सम्भावित अनुमान से जिस स्थान पर बताया गया उस स्थल पर लगभग 3 हे० भूमि पर गेहूँ की खेती हो रही है तथा शेष 6.131 हे० भूमि जो खाली पड़ा हुआ है वह पथरीली/ककरीली है जो वृक्षारोपण योग्य नहीं है। |
| 6- | मीरजापुर | सदर | चुनार | सिन्धोरा | 1007 | 39.911 | ग्राम-सिन्धोरा, गाटा संख्या-1007, क्षेत्रफल 39.911 हे० का संयुक्त निरीक्षण किया गया। भूमि अत्यधिक पथरीली होने के कारण वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त नहीं है। |
| | | | | | योग - | 191.218 | |

उपरोक्त गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावक विभाग (अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग को वनीकरण योग्य एवं विवाद रहित तथा अतिक्रमण मुक्त जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त हो गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।


(संजीव कुमार)


प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

15.928 हेक्टेयर चिन्हित गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

जनपद-सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे० वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में मीरजापुर वन प्रभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली 15.928 हे० गैर वन भूमि का परीक्षण/सर्वेक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों से कराया गया, उनकी जाँच रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

| क सं | जनपद/प्रभाग | तहसील | रेंज का नाम | ग्राम का नाम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | वर्तमान स्थिति |
|------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1- | मीरजापुर | मड़िहान | पटेहरा | रैकरा | 108य मि० | 4.238 | मे० अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय मैनेजर, (सी०एस०आर०) द्वारा दिखायी गयी भूमि का मध्य जी०पी०एस० रीडिंग लिया गया है जो N24°49'20.118"E82°39'52.038" है। प्रश्नगत भूमि को घूमकर निरीक्षण किया गया। वर्तमान में वहाँ पर लगभग 20 आर०सी०सी० पीलर पड़े पाये गये एवं लगभग 0.25 हे० भूमि पर आर०सी०सी० पीलर ग्राउड किया पाया गया। प्रश्नगत प्रकरण भूमि का लगभग 40 प्रतिशत भाग पथरीला है, किन्तु वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। |
| 2- | मीरजापुर | मड़िहान | पटेहरा | रैकरा | 108ठ | 11.690 | |
| | | | | | योग - | 15.928 | |

उपरोक्त गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावक विभाग (अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग को वनीकरण योग्य एवं विवाद रहित तथा अतिक्रमण मुक्त जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त हो गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
विण्ढमफाल रेंज/पटेहरा


(पी०एस०त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
पत्र संख्या- 8039 / 331 दिनांक, मिर्जापुर, जून 03, 2021.
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र।

विषय: जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे० क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन सं०-FP/UP/MON/47074/2020.
संदर्भ: 1-आपका पत्रांक 936/ओबरा/15भू०ह०, दिनांक 29-1-2021.
2-इस कार्यालय का पत्रांक 2455/33-1 दिनांक 22-2-2021.
महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भगत पत्र सं०-1 द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे० क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन सं०-FP/UP/MON/47074/2020 के क्रम में कैमूर वन्य जीव प्रभाग से सम्बन्धित मांगी गयी वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 2455/33-1 दिनांक 22-2-2021 द्वारा 108.951 हे० का विवरण प्रेषित किया गया था, जिसकी समरी रिपोर्ट निम्न प्रकार है :-

| गाटा संख्या | क्षेत्रफल(हे०में) | अभ्युक्ति |
|-------------|-------------------|---|
| 13 | 32.926 | वृक्षारोपण योग्य है, परन्तु अतिक्रमित है। |
| 06 | 20.111 | वृक्षारोपण योग्य है, परन्तु अतिक्रमित होने के साथ-साथ वन क्षेत्र से दूर होने के कारण सुरक्षा एवं संरक्षण में कठिनाई होगी। |
| 14 | 55.914 | पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है। |
| कुल-33 गाटा | 108.951 | |

उक्त प्रकरण में आपके पत्र संख्या-2592/15 दिनांक 6-4-2021 द्वारा 20.111 हे० क्षेत्र वन क्षेत्र से दूर होने के कारण सुरक्षा एवं संरक्षण में कठिनाई को देखते हुये अल्ट्राटेक सीमेंट लि० द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग के हलिया रेंज अन्तर्गत ग्राम परसिया, मुड़पेली में आ०सं०-886घ रकबा 22.60 हे० वन भूमि प्रस्तावित किया गया है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं०-2972/33-1 दिनांक 19-05-2021 द्वारा ग्राम परसिया, मुड़पेली की आ०सं०-886घ रकबा 22.60 हे० पूर्ण रूप से पहाड़ी एवं बड़े-बड़े चट्टानों से आच्छादित होने एवं उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

इस प्रभाग के हलिया रेंज अन्तर्गत अतिक्रमित गैर वन भूमि 32.926 हे० वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस आधार पर दिया जा रहा है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावक विभाग (अल्ट्राटेक सीमेंट लि०) द्वारा अतिक्रमणमुक्त भूमि उपलब्ध कराना होगा। 32.926 हे० क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन एवं टोपोशीट 04 प्रतियों में संलग्न कर संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय


(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

संख्या-

समदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि अल्ट्राटेक सीमेंट लि०, यूनिट डाला सीमेंट वर्क्स, डाला सोनभद्र को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० डाला सोनभद्र की लाइन स्टोन माइन्स में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले कैमूर वन्य जीव प्रभाग के हलिया रेंज अन्तर्गत ग्राम बड़ौहा, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर में प्रस्तावित आराजी सं०-651 क्षेत्रफल 8.00 हे० गैर वन भूमि का क्षेत्रीय वन अधिकारी, हलिया से जाँच करायी गयी। उनकी जाँच आख्या दिनांक 30-6-2022 के आधार पर -

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के हलिया रेंज अन्तर्गत ग्राम बड़ौहा, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर में प्रस्तावित आराजी सं०-651 क्षेत्रफल 8.00 हे० गैर वन भूमि में से लगभग 2.00 हे० भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। शेष गैर वन भूमि चट्टानी/पत्थरयुक्त भूमि है।

88
(आशुतोष जयसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मीरजापुर।

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, डाला सोनभद्र द्वारा (ग्राम-कोटा, पड़रछ व बिल्ली मारकुण्डी में) खनन कार्य हेतु 344.688हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाईड लाईन के क्रम में "Tree for tree and land for land" के अनुसार वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त गैर वन भूमि के स्थान पर अतिरिक्त सी०ए० वृक्षारोपण हेतु ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 121हे० निम्नलिखित क्षेत्र चयनित किये गये हैं, क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र०सं० | रेंज का नाम | ब्लाक एवं कम्पार्टमेंट का नाम | क्षेत्रफल (हे०में) |
|--------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ओबरा | सागरदह-7 | 10 |
| 2 | ओबरा | सागरदह-5 | 10 |
| 3 | ओबरा | सागरदह-6 | 10 |
| 4 | ओबरा | अमरसोता-7 | 10 |
| 5 | डाला | रानीताली-1 | 10 |
| 6 | डाला | रानीताली-1 अ | 10 |
| 7 | डाला | गुरमुरा-6 | 10 |
| 8 | कोन | हर्रा-9 | 10 |
| 9 | तरिया | गडॉव-5 | 10 |
| 10 | तरिया | गडॉव-3 | 10 |
| 11 | तरिया | झरिया-3 | 10 |
| 12 | डाला | वसुधा-3 अ | 11 |
| योग:- | | | 121 |

उपरोक्त क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। प्रश्नगत क्षेत्र का जियोरिफरेन्सड मानचित्र व सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट संलग्न है।

(संजय कुमार माथुर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कोन।

(अश्विनी कुमार चौबे)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
तरिया।

(क्षमाशंकर पाठक)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
ओबरा।

(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
डाला।

(प्रखर मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

भूमि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र
Proposal NO- FP/UP/Mine/47074/2020

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० डाला सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) तथा भलुआ लाईम स्टोन माईन के खनन कार्य हेतु प्रभावित 344.688 हे० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष जनपद उन्नाव में उपलब्ध करायी जाने वाली ग्राम-सकरन विकासखण्ड-बिछिया में 10.57 हे० गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


(वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
उन्नाव


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव